न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण निगरानी- 5438/2018/अशोकनगर/भू.रा.

मुन्ना पुत्र ऊधम चमार
निवासी इंदौर तहसील ईशागढ
जिला अशोकनगर (म.प्र.) ... निगरानीकर्ता
बनाम

म.प्र. शासन ..... अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50, 32 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, आवेदनकर्ता को भूमि सर्वे नं. 2803 /3 का व्यवस्थापन प्रकरण कमांक 34/अ-19/2002-03 दिनांक 29.12.2002 को प्राप्त हुआ। उक्त भूमि उबल खाबड, ककरीली, पथरीली अनउपचार है।

2- यह कि, आवेदनकर्ता का भूमि सर्वे नं. 2125 पर 30-40 वर्षो से कब्जा होकर कृषि कार्य कर अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।

3- यह कि, आवेदनकर्ता को जो सर्वे नं. 2803/3 का व्यवस्थापन हुआ था उसकी जगह 2125 पर आवेदनकर्ता का वर्षो से कब्जा होकर अपने एंव अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।

4- यह कि, चूंकि शासन की समय समय पर भूमिहीन, गरीब, बेसहारा, अनुपउचार से उपजाउ में सर्वे नंबर परिवर्तित करने के विशेषाधिकार

मुन्ना / श्रीमान

(1) R. 5438-18 अ० नगर

R-5438/2018

5-10-18 आवेदन अभिभाषक श्री कुमार सिंह कुशवाह उप० प्रकरण कायमी हेतु

6-12-18

6/12/18 आवेदक अभि० श्री कुमार सिंह कुशवाह उप० प्रकरण कायमी हेतु। प्रकरण कलेक्टर को भेजने हेतु।

सदस्य

Noted 6/12/18

24/12/18 निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया है जिन्होंने यह भी मांग रखी हे कि यदि निगरानी प्रचलनयोग्य नहीं पाई जाती है तब कलेक्टर अशोकनगर को निराकरण हेतु अंतरित कर दी जावे।

2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर विचार किया गया। यह निगरानी किस न्यायालय व्दारा किस प्रकरण में पारित किस आदेश के विरूद्व है, आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं, जबकि निगरानी आवेदन के माध्यम से भूमि विनिमय की मांग आवेदक व्दारा की गई है जिसके कारण राजस्व मण्डल व्दारा निगरानी में आवेदक की मांग पर विचार करना संभव न होने से आवेदक का मॉग आवेदन निरस्त किया जाता है।

सदस्य